<u>न्यायालय– द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, गोहद जिला–भिण्ड</u>

(समक्ष : पी०सी०आर्य)

विविध अपील क्रमांकः 23 / 2014 संस्थापन दिनांक 17/07/2012 फाइलिंग नंबर-230303000012012

मुन्नालाल पुत्र वद्रीप्रसाद आयु 57 वर्ष 1. निवासी ग्राम छरेंटा (करवास) परगना गोहद जिला भिण्ड

......अपीलार्थी / प्रतिवादी

वि रू द्ध

- रामकुमार आयु 53 साल (अ) 1.
 - जवाहर लाल आयु 49 साल पुत्रगण श्रीगोविन्द
- 2. सूरजदेव आयु 57 साल
 - वासुदेव आयु ४९ साल
 - उमेश आयु 43 साल पुत्रगण नारायण प्रसाद
- 3. रामप्रकाश आयु 60 साल
 - राजेन्द्र प्रसाद आयु 55 साल
 - मुन्नालाल आयु 40 साल
 - (द) दिनेश आयु ४३ साल पुत्रगण मुरारीलाल
- सुदामा प्रसाद आयु 70 साल 4.
- शारदा प्रसाद आयु 68 साल 5.
- मुंशीलाल आयु 65 साल 6. पुत्रगण रामदयाल
- रमेश आयु 57 साल (अ) 7.
 - सुरेश आयु 45 साल (ब) पुत्रगण राधाकिशन

जाति ब्रह्म्ण समस्त निवासीगण ग्राम कुंअरपाल को पुरा सुपावली परगना व जिला ग्वालियर म०प्र०

🏬 प्रत्यर्थीगण / वादीगण

रामप्रसाद पुत्र वादशाह आयु 65 साल 8. निवासी ग्राम छरेंटा (करवास) परगना गोहद 🎪.....तरतीवी प्रत्यर्थी जिला भिण्ड म०प्र०

> न्यायालय–कु० शैलजा गुप्ता व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग–दो, गोहद द्वारा व्यवहार वाद क्रमांक–135 ए/11 में पारित आदेशदिनांक– 18/05/12 से उत्पन्न विविध सिविल अपील।

अपीलार्थी / प्रतिवादी द्वारा श्री एन०पी० कांकर अधिवक्ता उप०। प्रत्यर्थीगण / वादीगण पूर्व से एक पक्षीय।

_::- **आ दे श —::-**(आज दिनांक **09 फरबरी 2017** . को खुले न्यायालय में पारित)

- इस आदेश द्वारा अपीलार्थी / प्रतिवादी क्रमांक 01 की ओर 1. से आदेश 43 नियम 1 सी०पी०सी० के तहत न्यायालय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-02 गोहद कुमारी शैलजा गुप्ता द्वारा सिविल वाद क्रमांक 135ए / 11 ई0दी0 में दिनांक 18 / 05 / 12 को पारित आदेश से व्यथित होकर प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने वादी / प्रत्यर्थीगण के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदनपत्र स्वीकार करते हुए, उसके तथा अन्य प्रतिवादी के विरूद्ध प्रकरण के निराकरण तक अथवा अग्रिम आदेश होने तक वादग्रस्त भूमि पर वादी / प्रत्यर्थीगण के आधिपत्य में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किए जाने से निषेधित किया था।
- प्रकरण में यह निर्विवादित तथ्य है, कि मूल वाद 2. अपीलार्थी / प्रतिवादी मुन्नालाल के अलावा प्रतिवादी रामप्रसाद पुत्र बादशाह के विरूद्ध भी स्थाई निषेधाज्ञा की आज्ञप्ति हेतु प्रस्तुत किया गया है जो विचाराधीन है, उक्त अपील प्रतिवादी कृमांक 02 रामप्रसाद पुत्र बादशाह की ओर से प्रस्तुत नहीं की गई है। यह भी निर्विवादित है, कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादलंबन काल में वादी साक्ष्य के स्तर पर प्रतिवादीगण के संशोधन आवेदनपत्र अंतर्गत आदेश 06 नियम 17 सी0पी0सी0 के आवेदनपत्र को दिनांक 06/08/12 के आदेशानुसार निरस्त किया गया था, जिससे व्यथित होकर प्रतिवादीगण द्वारा माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ ग्वालियर में डब्ल्0पी0 कमांक 6564 / 2012 पेश की गई जिसमें दिनांक 17 / 09 / 12 को विचारण न्यायालय की अग्रिम कार्यवाही को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थगित किया गया है, उक्त रिटयाचिका अभी विचाराधीन है, और उससे पूर्व विचाराधीन सिविल अपील पेश की जा चुकी।
- विचारण न्यायालय में वादी / प्रत्यर्थीगण की ओर से प्रस्तुत 3. आवेदन का सार संक्षेप में इस प्रकार है, कि वादग्रस्त भूमि के वादीगण स्वामित्व एवं आधिपत्यधारी है, जिस पर वादीगण कृषिकार्य करते चले आ रहे है, तथा वादग्रस्त भूमि से संबंधित राजस्व कागजातों में वादी कमांक 01अ एवं 1ब वादी कैमांक -02. अ,ब,स तथा वादी कमांक-03 अ,ब,स के पिता क्रमशः गोविन्द, नारायण प्रसाद मुरारीलाल तथा वादी कमांक-04,05,06 एवं 07 अब के नाम भूमि स्वामी के रूप में समान रूप से इंद्राज है, जिनमें से गोविन्द, नारायण प्रसाद एवं मुरारी लाल की मृत्युं हो जाने के कारण उनके पुत्र वैध वारिस होकर काबिज हैं, वादीगण की वादग्रस्त भूमि पुश्तैनी भूमि है, तथा वादीगण एवं उनके पूर्वज मूल रूप से छरैंटा के निवासी हैं, किंतु करीब 30—35 वर्षों से ग्राम छरैंटा को छोडकर ग्राम सुपावली (कुंअरपाल के पुरा) पर रहने लगे है और वहीं से विवादित भूमि पर खेती करा रहे हैं। प्रतिवादीगण का विवादित भूमि से कोई संबंध न होने से वादीगण की कृषिभूमि पर बाधा उत्पन्न कर अवैधानिक रूप से हथियाना चाहते हैं। दिनांक 15/11/11

को वादीगण जब अपनी फसल को देखने गए तो अनावेदक तो प्रतिवादीगण ने उन्हें धोंस दी कि इस वर्ष भूमि पर खडी फसल को वहीं काटेंगे, और आगामी वर्षों से वे वादीगण को खेती नहीं करने देंगे तथा वादग्रस्त भूमि पर जबरन कब्जा करेंगे, अतः वादीगण द्वारा अपने हितों की सुरक्षा के लिए प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा हेतु दावा पेश किया गया है, जो कि प्रथम दृष्ट्या पुष्ट है, तथा सुविधा का संतुलन वादीगण के पक्ष में है, और यदि प्रतिवादीगण बिना किसी स्वत्व एवं आधिपत्य के वादग्रस्त भूमि पर कब्जा कर खडी फसल को काटते है, तो वादीगण का वाद प्रस्तुत करने का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा, अतः वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्वयं के आधिपत्य में हस्तक्षेप करने व कृषि फसल को काटने से निषेधित करने बाबत निषेधाज्ञा प्रदान किए जाने का निवेदन किया है, वादीगण द्वारा अपने आवेदनपत्र के समर्थन में खसरा मौजा अभिलेख की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की है, तथा मुन्नालाल व गजाधर का शपथपत्र पेश किया है।

- प्रतिवादीगण द्वारा आवेदन का लिखित जबाब प्रस्तुत कर <equation-block> व्यक्त किया है, कि वादग्रस्त भूमि वादीगण के स्वामित्व व आधिपत्य की नहीं है, बल्कि उस पर प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 के पूर्वजों के समय से वादीगण की जानकारी में निरंतर खेती होती चली आ रही है। वादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि के संबंध में पूर्वजों का नाम गलत तौर पर अंकित किया गया है, जिनमें श्रीगोविन्द, नारायणप्रसाद व मुरारी लाल की मृत्यू होने के सबंध में उसे जानकारी नहीं है, परंतू उक्त लोगों के द्वारा एवं उनके वारिसानों द्वारा कभी भी वादग्रस्त भृमि पर काबिज होते काबिज होते हुए खेती नहीं की गई है, और न ही वादीगण एवं उनके पूर्वज मूल से ग्राम छरेंटा के रहने वाले है, और वादीगण द्वारा ग्राम छरैंटा को 30–35 वर्षों से छोडकर जाना असत्य बताया गया है, वादीगण द्वारा वादपत्र में वर्णित अभिवचन मात्र प्रतिवादीगण पर दबाब बनाकर विवादित भूमि को अवैध रूप से हथियाने के आशय से असत्य तौर पर अंकित किए गए है, तथा वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण को भूमिस्वामी संबंधी स्वत्व उद्भूत हो गए है, वादीगण द्वारा विचाराधीन प्रकरण में असत्य तौर पर वाद कारण प्रस्तृत किया गया है, जबकि वादग्रस्त भूमि पर वास्तव में प्रतिवादीगण का कब्जा है, वादीगण द्वारा अपने वादपत्र में कब्जा प्राप्ति की सहायता नहीं चाही गई हैं मात्र गलत राजस्व इंद्राज के आधार पर वादपत्र प्रस्तुत किया गया है, अतः विचाराधीन आवेदनको निरस्त किए जाने का निवेदन किया है, प्रतिवादीगण द्वारा अपने अभिवचनों के समर्थन में लक्ष्मीनाराण, वेदप्रकाश का शपथपत्र एव प्रकरण कमांक -26 / 11-12-बी-121 कार्यालय राजस्व निरीक्षक वृत्त् देहगांव का निरीक्षण प्रतिवेदन पंचनामा की प्रमातिण प्रति प्रस्तुत की है। 🇥
- 5. प्रतिवादी मुन्नालाल की ओर से प्रस्तुत उक्त विविध सिविल अपील में मुख्यतः यह आधार लिए गए है, कि वादीगण / प्रत्यर्थीगण का वाद स्थाई निषेधाज्ञा हेतु पेश किया गया है, इसलिए अस्थाई निषेधाज्ञा का कोई भी आदेश इस प्रकार का पारित नहीं किया जा सकता है, जो

कि प्रकरण में अंतिम अनुतोष के रूप में होने से दावा डिकी करने का स्वभाव रखता हो और वादपत्र के अभिवचनों के अनुसार ही वादीगण के पूर्वज श्रीगोविन्द, मुरारीलाल, नारायण प्रसाद की मृत्यु को दावा पूर्व 20 वर्ष हो चुके थे, उनकी ओर से अपने जीवन काल में अपीलार्थी अथवा उसके पूर्वजों के विरूद्ध वादग्रस्त कृषि भूमि के संबंध में कोई कार्यवाही थी, __(न्, ही पूर्वजों की वादीगण / प्रत्यर्थीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि पर कोई नामांतरण की कार्यवही की, जिससे यह स्पष्ट है, कि वादीगण / प्रत्यर्थीगण का वादग्रस्त भूमि से किसी भी प्रकार का कोई स्वत्व आधिपत्य नहीं रहा है, न संबंध रहा है, और वाद प्रस्तुति के समय अपीलार्थी का वादग्रसत भूमि पर आधिपत्य व कास्त है, जिसके संबंध में मौके पर पटवारी और राजस्व निरीक्षक द्वारा जांच कर पंचनामा बनाकर प्रतिवेदन भी दिया गया था, जिससे यह स्पष्ट है, कि प्रत्यर्थी / वादीगण का वादग्रस्त भूमि पर वर्षों से आधिपत्य नहीं है, ऐसी दशा में विधिक रूप से अपीलार्थी काबिज कास्त है, और उसे बेदखल करने का प्रभाव रखनेवाला कोई भी आदेश नहीं किया जा सकता है।

- 6. यह आधार भी लिया है, कि वादीगण / प्रत्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत पुराना खसरा इंद्राज पश्चावर्ती राजस्व निरीक्षक व पटवारी के जांच प्रतिवेदन के आलोक में सही मानने में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक त्रुटि की है, और वादीगण / प्रत्यर्थीगण का विवादित भूमि पर आधिपत्य न होने से उनके पक्ष में अस्थाई निषधाज्ञा प्रदान नहीं की जा सकती थी, किंतु विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश पारित कर अवैधानिकता की है, तथा रामप्रसाद पुत्र बादशाह का वादग्रस्त भूमि से कोई संबंध नहीं है, न ही उसके नाम ग्राम छरेंटा में कोई कृषि भूमि है, उसे प्रकरण में अनावश्यक पक्षकार बनया है तथा वह व अशोक वादग्रस्त भूमि पर भूमिस्वामी की हैसियत से काबिज कास्त है, किंतु अशोक को प्रकरण में पक्षकार ही नहीं बनाया गया है, इसलिए विद्वान अधीनस्थ अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य आदेश अपास्त किया जाकर अपील स्वीकार की जावे और व्यय दिलाया जाए।
- 7. अपील के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है कि -
 - 1. 'क्या विद्वान् अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सिविल वाद क्रमांक 135ए / 11 ई०दी० में दिनांक 18 / 05 / 12 को पारित आलोच्य आदेश में प्रदान की गई अस्थाई निषेधाज्ञा अवैध, अनुचित व औचित्यहीन होकर अपास्त किये जाने योग्य है ?''

विचारणीय प्रश्न कमांक 1

8. प्रकरण में प्रत्यर्थी / वादीगण अपील स्तर पर एकपक्षीय है, अपीलार्थी / प्रतिवादी की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने अंतिम तर्कों में इस बात पर बल दिया है, कि वादग्रस्त भूमि पर अपीलार्थी / प्रतिवादी और अशोक भूमि स्वामी की हैसियत से काबिज कास्त है, अशोक को पक्षकार नहीं बनाया गया है, और प्रतिवादी

कमांक–02 रामप्रसाद को अनावश्यक पक्षकार बनाया है, उसका वादग्रस्त भूमि से कोई संबंध सरोकार नहीं है, यह तर्क भी किया है, कि अपीलार्थी / प्रतिवादी को वादग्रस्त भूमि के संबंध में स्वत्व प्राप्त हो गए और वादीगण/प्रतिवादीगण या उनके पूर्वजों अपीलार्थी / प्रतिवादी या उसके पूर्वजों के विरूद्ध कोई कार्यवाही वादग्रस्त भूमि के संबंध में नहीं की गई है, मूल वाद केवल स्थाई निषेधाज्ञा की डिकी बाबत पेश किया गया है, अस्थाई निषेधाज्ञा भी उसी प्रकृति की विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने पारित की है, जबकि ऐसा आदेश विधिक दृष्टि से नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अंतिम अनुतोष के रूप में जो सहायता चाही हो उसे अंतरिम रूप से प्रदान नहीं किया जा सकता है और वादी / प्रत्यर्थीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि पर पूर्वजों की मृत्यु पश्चात नामांतरण की कार्यवाही भी नहीं की गई है, पटवारी और राजस्व निरीक्षक के जांच प्रतिवेदन भी मूल वाद को खण्डित करते है, वादीगण / प्रत्यर्थीगण को वास्तविकता में कोई वादकारण उत्पन्न नहीं हुआ है, वे ग्राम छरेंटा में जहां वादग्रस्त भूमि स्थित है, वहां नहीं रहते है, बल्कि कुअंरपाल का पुरा सुपावली जिला ग्वालियर में लंबे अर्से से रह रहे है, इसलिए उनका कोई वास्तविक आधिपत्य नहीं है और विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने विवाद की प्रकृति को समझने में भूल की है तथा अस्थाई निषेधाज्ञा पारित करने में विधि के स्थापित सिद्धांतों का अनुपालन नहीं किया है, इसलिए अस्थाई निषेधाज्ञा अपील स्वीकार कर अपास्त की जाए।

अपीलार्थी / प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर 9. चिंतन मनन किया गया, अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेख, आलोच्य आदेश का अध्ययन किया गया, विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश मुताबिक वादीगण / प्रत्यर्थीगण का अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदनपत्र स्वीकार कर आधिपत्य में हस्तक्षेप करने से विरत रहने संबंधी अस्थाई निषेधाज्ञा अपीलार्थी / प्रतिवादी मुन्नालाल के साथ साथ प्रतिवादी कमांक 02 राम प्रसाद के विरूद्ध भी प्रचलित की है, मूल वाद ग्राम छरैंटा (करवास) तहसील गोहद के सर्वे नंबर—2730 रकवा 0.63 हेक्टे0 के संबंध में अस्थाई निषेधाज्ञा हेत् स्वयं का स्वामित्व और आधिपत्य बताते हुए प्रस्तुत किया है, जो विचाराधीन है वादी / प्रत्यर्थीगण का यह आधार कि वे और उनके पूर्वज मूल रूप से ग्राम छरैंटा (करवास) के ही मूल निवासी है, दावा पूर्व करीब 30—35 वर्ष से वे ग्राम सुपावली (कुंअरपाल के पुरा) ग्वालियर ग्वालियर में रहने लगे है और वहीं से वादग्रस्त भूमि पर खेती कराते हैं, प्रतिवादीगण का परिवार झगडालू प्रवृत्ति का है और उनका परिवार बडा है, इसलिए वे खेती में बाधा उत्पन्न करते है और उनकी कृषि भीूमि को अवैधानिक रूप से हडपना चाहते है, तथा यह अभिवचन भी किया है, कि दिनांक 15/11/11 को वादग्रस्त भूमि पर उनकी सरसों की फसल थी, जिसे वह देखने गया था तब खडी फसल को प्रतिवादीगण ने अपनी बताते हुए, काटने और आगे से वादग्रस्त भूमि पर स्वयं कृषि करने और आधिपत्य करने की धमकी भी दी, मारपीट करने की भी धमकी दी, जिस पर से वादकारण उत्पन्न होना बताते हुए, वाद प्रस्तुत किया गया है।

- 10. जहां तक अपीलार्थी की ओर से यह बिन्दु उठाया गया है, कि प्रकरण में रामप्रसाद अनावश्यक पक्षकार है और अशोक नामक कोई व्यक्ति आवश्यक पक्षकार है, जिसे वादीगण / प्रत्यर्थीगण द्वारा संयोजित नहीं किया गया है, यह बिन्दु अस्थाई निषेधाज्ञा के आवेदनपत्र के निराकरण के स्तर पर विचार योग्य नहीं है, गुणदोषों पर इस बिन्दु पर विचार हो सकता है, अथवा उभयपक्षों के अभिवचनों पश्चात प्रारंभिक वादप्रश्न निर्मित कर उसका निराकरण किया जा सकता है, इसलिए विविधि सिविल अपील में उठाए गए उक्त बिन्दु को वैधानिक नहीं माना जा सकता है।
- ैजहां तक राजस्व अभिलेख में इंद्राज का प्रश्न है, यह 11. सुस्थापित विधि है, कि राजस्व इंद्राज स्वत्व का प्रमाण नहीं माना जाता है, क्योंकि वह राजस्व वसूली के प्रयोजन से किया जाता है जैसा कि न्याय दृ0 नवलशंकर ईश्वरलाल दबे विरूद्ध स्टेट ऑफ गुजरात ए **0आई0आर0 1994 सुप्रीमकोर्ट पेज 1496** में सिद्धांत प्रतिपादित है, अपीलार्थी / प्रतिवादी की ओर से जो अभिवचन किया गया है, उससे प्रतिकूल आधिपत्य के आधार पर भूमिस्वामी का स्वत्व उद्भूत हो जाने का जो बिन्दु उठाया गया है, वह भी साक्ष्य उपरांत गुणदोषों पर ही देखा जा सकता है हालांकि अपीलार्थी / प्रतिवादी की ओर से इस आधार पर कोई प्रतिदावा किया जाना दर्शित नहीं होता है। एक ओर तो अपीलार्थी / प्रतिवादी प्रकरण में प्रतिवादी क्रमांक 02 रामप्रसाद को अनावश्यक पक्षकार बताते हुए उसका वादग्रस्त भूमि से कोई संबंध नहीं होना और ग्राम छरैंटा में उसके नाम से कोई कृषि भूमि नहीं होना बताया है जबिक वादोत्तर दोनों ने ही संयुक्त रूप से ही प्रस्तुत किया है, और अपील में रामप्रसाद शामिल नहीं है।
- वादीगण / प्रत्यर्थीगण के द्वारा अभिवचनों में यह उल्लेख 12. किया गया है, कि वे और उनके पूर्वज दावा पूर्व विगत 30-35 वर्षों से छरैंटा छोडकर चले गए और सुपावली (कुंअरपाल को पुरा) ग्वालियर में रहते है और वहीं से कृषिकार्य कराते है, कोई भी भारतीय नागरिक भारतवर्ष में एक से अधिक स्थानों पर सम्पत्ति रखने का संवैधानिक अधिकार रखता है, इसलिए ग्राम छरैंटा छोडकर वादीगण / प्रत्यर्थीगण के अन्यंत्र निवास करने के आधार पर ऐसी उपधारणा नहीं बनाई जा सकती है, कि उनका कृषि भूमि पर आधिपत्य नहीं हो सकता है, अधिकांश नागरिक अपने बच्चों की शिक्षा दिक्षा के लिए या अन्य निजी कारणों से ग्रामों से शहरी क्षेत्रों में पलायन कर जाते है, किंतू कृषिकार्य वे आ—जाकर करते हैं या कराते है, इसलिए अन्यंत्र रहने से वादीगण / प्रत्यर्थीगण के आधिपत्योचित होने की उपधारणा भी इस स्तर पर नहीं बनाई जा सकती है, हालांकि किस प्रकार से वे कृषिकार्य करते या कराते यह भी साक्ष्य से ही स्पष्ट हो सकेगा और साक्ष्य स्तर पर अपीलार्थी / प्रतिवादी को अपना पक्ष रखने का पूर्ण अवसर प्राप्त होगा।
- विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश में अभिलेख पर उभयपक्ष की ओर से जो दस्तावेज प्रस्तुत किए गए थे,

उनका प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन करते हुए यह निष्कर्ष निकाला है, कि वादीगण / प्रत्यर्थीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि पर स्वत्व एवं आधिपत्य के संबंध में जो राजस्व अभिलेख की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की है, उसमें स्व0 श्रीगोविन्द, नारायण आदि का अर्थात वादीगण / प्रत्यर्थीगण के पूर्वजों का भूमिस्वामी की हैसियत से नाम इंद्राज है और उसे अपीलार्थी / प्रतिवादी द्वारा चुनौती नहीं दी गई है, तथा उक्त राजस्व अभिलेख की प्रविष्टि में भी नाम है, वादीगण / प्रत्यर्थीगण द्वारा रामकुमार पुत्र श्रीगोविन्द का पुत्र होना दिनेश कुमार मुरारीलाल का पुत्र, वासुदेव , नारायण प्रसाद का पुत्र, मुन्नालाल मुरारीलाल का पुत्र होना वोटरकार्ड से दर्शित होता है, और उसकी शुद्धता को भी उक्त स्तर पर चुनौती नहीं दी गई है।

- अपीलार्थी / प्रतिवादी द्वारा अपने पूर्वजों के समय से 14. आधिपत्य होने के संबंध में कोई स्पष्ट और विस्तृत अभिवचन या दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किया है, राजस्व निरीक्षक एव पटवारी का पंचनामा व प्रतिवेदन जिसके आधार पर आधिपत्य होने की बात कही गई है, तथा न्यायालय नायब तहसीलदार वृत्त देहगांव के राजस्व प्रकरण क्रमांक 26 / 2011–12–बी–121 दिनांक 19 / 10 / 11 से संबंधित प्रकरण में दिनांक 04 / 05 / 12 को पारित आदेश अनुसार उक्त प्रकरण का निराकरण हो चुका है और उसके संबंध में कोई अग्रिम कार्यवाही संचालित की हो ऐसा नहीं बताया है, जबकि अपीलार्थी / प्रतिवादी मुन्नालाल व बादशाह के दूसरे पुत्र अशोक के द्वारा तहसीलदार वृत्त देहगांव के समक्ष जो मूल आवेदन पेश किया गया था, वह भी राजस्व अभिलेख में वादग्रस्त उक्त भूमि पर अपना आधिपत्य का इंद्राज किए जाने के संबंध में था, जो निराकृत हो चुका है, अर्थात नायब तहसीलदार द्वारा कब्जा इंद्राज संबंधी प्रकरण में अपीलार्थी / प्रतिवादी मुन्नालाल और उसके द्वारा सह आधिपत्यधारी बताए गए अशोक की प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया गया है ऐसी स्थिति में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त भूमि पर वादीगण / प्रत्यर्थीगण का प्राथमिक रूप से वैध आधिपत्य मानने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। 🕢
- 5. इस दृष्टि से अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदनपत्र स्वीकार कर अपीलार्थी / प्रतिवादी के विरुद्ध पारित अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदनपत्र को अवैधानिक नहीं माना जा सकता है, और अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क कि अंतिम अनुतोष की प्रकृति की सहायता आलोच्य आदेश मुताबिक दी गई है, उसे भी इसलिए स्वीकार नहीं किया जा सकता है, कि क्योंकि आलोच्य आदेश में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है, कि उक्त आदेश का प्रभाव प्रकरण के अंतिम निराकरण पर नहीं होगा, जो अपीलार्थी / प्रतिवादी की शंकओं को समाप्त करता है, और ऐसी उपधारणा नहीं बनाई जा सकती है, कि अस्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित किए जाने संबंधी आलोच्य आदेश से मूल वाद का गुण दोषों पर होने वाला निराकरण किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर गुणदोषों को प्रभावित करेगा, ऐसी स्थिति में अपील में उठाए गए बिन्दु और लिए गए आधार वैधानिक नहीं माने जा सकते है, यहां यह भी स्पष्ट करना उचित होगा कि निषेधाज्ञा प्रचलित किए जाते समय न

केवल आधिपत्य को देखा जाना आवश्यक होता है, अपित् आधिपत्य वैधानिक होने को भी विचार में लिया जाता है।

- इस संबंध में न्याय दे0 कमलिसंह विरूद्ध जयरामिसंह 16. 1987 मा0नि०षा० पेज 47 (एम०पी०) में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है, कि कब्जा संबंधी निराकरण करते समय केवल ऊपरी कब्जा नहीं देखा जाना चाहिए बल्कि विधिपूर्ण आधिपत्य को देखा जाना चाहिए अन्यथा अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और चालाक मुकदमेबाज वास्तविक स्वामी को कब्जा विहीन कर सकते है तथा अन्य न्याय दृ० गंगूबाई विरुद्ध सीताराम ए०आई०आर० 1983 सुप्रीमकोर्ट **पेज 742** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है, कि विधिपूर्ण आधिपत्य रखनेवाले व्यक्ति के पक्ष में निषेधाज्ञा प्रचलित की जानी चाहिए।
- इस प्रकार से उक्त विश्लेषण के आधार पर इस न्यायालय मत है, कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय वादीगण / प्रत्यर्थीगण का अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदनपत्र स्वीकार आलोच्य आदेश मुताबिक पारित अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने में कोई वैधानिक त्रुटि नहीं की है, फलतः प्रस्तुत विविध सिविल अपील सारहीन होना मानते हुए निरस्त की जाती है, यहां यह भी उल्लेखित किया जाता है, कि इस आदेश का भी गुणदोषों पर होने वाले अंतिम निराकरण पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं रहेगा।
- अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख आदेश की 18. वापिस भेजा जावे।

तद्नुसार व्यय तालिका बनायी जावे ।

दिनांक-

आदेश खुले न्यायालय में दिनांकित व हस्ताक्षरित कर पारित किया गया

मेरे बोलने पर टंकित किया गया

(पी0सी0आर्य)

ELINIST POPOL द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड

(पी0सी0आर्य)

द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड